Afca/1427

PUL-6

आज़ादी का अमृत महोत्सव

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी बाप

घर-घर औषधि योजना

(NH11 मालियों का बास , ई–मेल: rfobaap@gmail.com)

क्रमांक / 2022–23 / 264 दिनांक : 25/07/22

प्रेषित –

श्रीमान उप वन संरक्षक
जोधपुर

विषय :–तथ्यात्मक रिपार्ट भिजवाने के क्रम में।
प्रसंग–आप कार्यालय के पत्रांक 3098 दिनांक 25.07.2022 के क्रम में।
महोदय,
उपरोक्त प्रसांगिक पत्र के क्रम में

Project Name : Diversion of 0.1750 ha. Forest Land for Construction of 220kV S/C Transmission line on D/C towers laying between proposed ABCSIPL 300MW Solar Power Plant to PGCIL 765/400/220kV GSS at Near Village - Badi Sird, Tehsil-BAP, District – Jodhpur in the State of Rajasthan ((Total Length 11.540 km)

Proposal No. : FP/RJ/TRANS/153699/2022

Category of the Project: Transmission Line

Area of forest land proposed for diversion (in ha.): 0.1750 Ha.

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत उल्लंघन की तथ्यात्मक रिपोर्ट

ए.बी.सी. सोलर (इण्डिया) प्रा. लि. हाऊस नम्बर 6–3–680 / 813, प्लॉट नं. 03, द्वितीय तल, पी.एम.आर. प्लाजा, ठाकुर मैन्सन लेन, सोमजीगुढ़ा, हैदराबाद द्वारा ए.बी.सी. सोलर (इण्डिया) प्रा. लि. के 300 मेघाघाट सोलर प्लान्ट से निर्मित विद्युत को पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि. के 765 / 400 / 220 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन तक पहुचाने के लिए 220 के.वी एस / सी विद्युत लाईन के लिए वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के विभागीय पोर्टल के माध्यम से जरिये प्रस्ताव संख्या FP/RJ/TRANS/153699/2022 के प्रेषित किये गये है ।

चूंकि कम्पनी द्वारा प्रस्तावित सोलर प्लान्ट एवं प्रस्तावित सम्पूर्ण विद्युत लाईन गैर वन भूमि पर प्रस्तावित की गयी है एवं कोई भी टॉवर लोकेशन वन भूमि में नही आ रही है परन्तु पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि. के ग्रिड सब स्टेशन एवं 300 मेघावाट सोलर प्लान्ट के मध्य से राष्ट्रीय राजमार्ग (एन.एच.15) गुजर रहा है एवं उक्त राजमार्ग के दोनों को रक्षित वन पट्टी घोषित किया हुआ है ।

प्रतिहस्ताक्षरित

उप वन संरक्षक
जोधपुर

FCA 28/7/2022

कार्यालय उप वन संरक्षक जोधपुर
क्रमांक 3326
दिनांक 28/7/2022

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बाप

(61)

Scanned with CamScanner

अतः बिना राष्ट्रीय राजमार्ग को क्रॉस किये बिना पारेक्षण लाईन का कार्य किया जाना सम्भव नही है । अतः प्रस्तावित विद्युत लाईन के राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरने के कारण वन भूमि प्रत्यावर्तन आवश्यक है एवं वांछित वन भूमि न्यूनतम है ।

वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव प्रेषित करने के उपरान्त प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि से तार खींचने का कार्य किया गया है जो कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन की श्रेणी में आता है।

राज्य में बिजली संकट एवं राजहित को मध्यनजर रखते हुए क्षैत्रीय वन अधिकारी बाप, फलौदी से स्पष्टिकरण मांग कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार जाँच कर जानकारी उपलबध करवाने हेतु निर्देशित किया गया है तथा क्षेत्रिय वन अधिकारी द्वारा राजस्थान वन अधिनियम 1953 के तहत एफ.आई.आर. संख्या 12/46 दिनांक 28.05.2022 दर्ज की गयी है तथा प्रयोक्ता अभिकरण से अक्षरे पचहत्तर हजार रूपये का जुर्माना किया गया एवं उक्त जुर्माना राशि प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त कर ली गई है जिसकी प्राप्ति रसीद संलग्न है । इसके अतिरिक्त प्रयोक्ता अभिकरण को भविष्य में इस प्रकार का बिना सक्षम स्तर की स्वीकृति के कोई भी गैरवानिकी कार्य न करने के लिए निर्देशित किया गया है एवं इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर लिया गया है ।

इसके अतिरिक्त सम्बन्धित वन अधिकारी से दोषी कर्मचारियों की जांच कर विवरण भिजवाने के लिए निर्देशित किया गया है एवं जांच प्रक्रियाधीन है । जांच सम्पूर्ण होने पर सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

इस प्रकार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 0.1750 हैक्टेयर वन भूमि पर बिना स्वीकृति के कार्य किया गया है जिसके उल्लंघन स्वरूप वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के दिशा–निर्देशो के अनुसार अधिरोपित होने वाली राशि का विवरण पृथक से संलग्न किया गया है ।

उक्त कार्य में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किसी भी वृक्ष को क्षति नहीं पहुचाइ गयी है एवं वन क्षेत्र में तार खींचने के अलावा कोई भी निर्माण कार्य नही किया गया है ।

भवदीय

(जोधराज सिंह)

क्षेत्रीय वन अधिकारी

क्षेत्रिय वन अधिकारी
बाप (जोधपुर)

प्रतिहस्ताक्षर

उप वन संरक्षक
जोधपुर

Scanned with CamScanner